



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-03022026-269803
CG-TL-E-03022026-269803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2026/माघ 14, 1947

No. 455]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2026/MAGHA 14, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 2 फरवरी, 2026

का.आ. 484(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में दिनांक 22 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), संख्यांक का.आ.5950(ई), दिनांक 22 दिसंबर, 2025 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् तेलंगाना राज्य में खम्मम जिले के बोनाकल गाँव एवं मंडल में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् 3000एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी के कर्षण प्रणाली में उन्नयन कार्य – खम्मम – कोंडापल्ली सेक्शन में बोनाकालु टीएसएस का निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक समाचारपत्रों, “नव तेलंगाना (तेलुगु)”, “साक्षी(खम्मम मेन) (तेलुगु)”, “द हंस इंडिया (अंग्रेजी)”, “द हिंदू (अंग्रेजी)” और “स्वतंत्र वार्ता (हिंदी)” में 26 दिसंबर, 2025 को सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर, निर्माण-IV, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के अनुमोदन से प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनपर विचारोपरांत कुछ आपत्तियों को

अस्वीकार किया गया और तदनुसार आदेश पारित किए गए एवं जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल सुविधा के लिए तेलंगाना राज्य में खम्मम जिले के बोनाकल गाँव एवं मंडल क्षेत्राधिकार में 3000एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी के कर्षण प्रणाली में उन्नयन कार्य – खम्मम – कोंडापल्ली सेक्शन में बोनाकालु टीएसएस के निर्माण हेतु विशेष रेलवे परियोजना के अंतर्गत किसी संरचना सहित या उसके रहित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

गाँव : बोनाकल				मंडल : बोनाकल			जिला :: खम्मम			
क्र. सं.	एसडीआर के अनुसार सर्वेक्षण सं.	भू भारती के अनुसार सर्वेक्षण सं.	अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्र (एकड़-गुंटा में)	टाइटल का प्रकार	भूमि का प्रकार	पट्टेदार एवं एंजॉयर का नाम	क्षेत्र (एकड़-गुंटा में)	पेड़ इत्यादि यदि हो तो	संरचनाएं	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	36/1/2	36-37/ए2/1/2	1.28	पट्टा	शुष्क	चिंतलपति प्रसाद सुपुत्र वीरय्या (पी एवं ई)	0.05	कोई नहीं	कोई नहीं	पूर्व:सर्वे. सं.36 पश्चिम:सर्वे.सं.36 उत्तर: सर्वे. सं.36 दक्षिण: रेलवे लाइन
2	36/1/2	36-37/ए2/1/1/2		पट्टा	शुष्क	चिंतलपति रमादेवी पत्नी प्रसाद (पी और ई)	1.23	कोई नहीं	कोई नहीं	पूर्व:सर्वे. सं.36 पश्चिम:सर्वे.सं.36 उत्तर: सर्वे. सं.36 दक्षिण: रेलवे लाइन
कुल			1.28			कुल	1.28			

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/BKL/20E]

सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 2nd February, 2026

S.O. 484(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 5950(E), dated the 22nd December, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 22nd December, 2025 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target - Construction of Bonakalu TSS in Khammam - Kondapalli section in Bonakal Village & Mandal in Khammam District in the state of Telangana.

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “Nava Telangana” (Telugu), “Sakshi (Khammam Main)” (Telugu), “The Hans India” (English), “The Hindu” (English), & “Swathantra Vaartha” (Hindi) dated 26th December, 2025 with the approval of Suneel Kumar Varma, Chief Engineer, Construction-IV, South Central Railway, Secunderabad.

And, whereas, NO objections were received and same have been considered and disallowed by the Competent Authority and accordingly orders have been passed And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Purpose of Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target- Construction of Bonakalu TSS in Khammam - Kondapalli section in Bonakal Village and Mandal in Khammam District in the state of Telangana jurisdiction for passenger and freight facility. Brief description of land to be acquired with or without structures in a particular railway project.

Village : Bonakal			Mandal : Bonakal				District :: Khammam			
S. No.	Sy. No As per SDR	Sy.No. As per Bhu Bharathi	Area under Acquisition in Acs. Gts	Type of Title	Type of land	Name of the Pattadar & Enjoyer	Extent in Ac. Gts.	Trees etc., if any	Structures	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	36/1/2	36-37/A2/1/2	1.28	Patta	Dry	Chinthalapati Prasad S/o Veeraiah (P&E)	0.05	Nil	Nil	E:Sy.No.36 W: Sy.No.36 N: Sy.No.36 S: Railway Line
2	36/1/2	36-37/A2/1/1/2		Patta	Dry	Chinthalapati Ramadevi W/o Prasad (P&E)	1.23	Nil	Nil	E:Sy.No.36 W: Sy.No.36 N: Sy.No.36 S: Railway Line
TOTAL			1.28			TOTAL	1.28			

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/BKL/20E]

SUNIL KUMAR VERMA, Chief Engineer/Con-IV